''महिला अपराधियों की मनोवृत्तियों का एक मनोसामाजिक अध्ययन''

(महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर एवं अजमेर शहर में एक तुलनात्मक अध्ययन)

A SOCIO-PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE ATTITUDES OF FEMALE OFFENDERS

(A COMPARATIVE STUDY OF WOMENS CAPTIVE HALFWAY HOUSE JAIPUR AND AJMER CITY)

संशोधित शोध प्रारूप

संकाय – समाजविज्ञान

शोध निर्देशक :

डॉ. ऋतु सारस्वत

व्याख्याता, समाजशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर

शोधार्थी :

पिंकी रानी

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

2018

सेवामें,

श्रीमान कुलसचिव महोदय,
शोध अनुभाग,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर (राज.)।

द्वारा – श्रीमती प्राचार्य महोदया, राजकीय महाविद्यालय पुष्कर, अजमेर (राज.)।
विषय – संशोधित शोध प्रारूप प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भ – क्रमांक : एफ–15 / शोध / 05 / 2016 / **Socio** / म.द.सं. वि.वि. 25134, दिनांक 20.06.2018

महोदय,

समाजशास्त्र विषय में पीएच.डी. हेतु संशोधित शोध प्रारूप आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ प्रेषित करते हुए सविनय निवेदन करती हूँ कि मेरा पंजीकरण कर शीघ्रतर मुझे सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय,
Pinky Rani
(पिंकी रानी)

दिनांक : 3/7/2018

संलग्न– Certificate of Course Work
– संशोधित शोध प्रारूप

प्राचार्य (विभागाध्यक्ष)
राजकीय महाविद्यालय
पुष्कर, अजमेर (राज.)

डॉ. ऋतु सारस्वत
शोध निर्देशिका

क्रमांक : 646 दिनांक : 3/7/2018
आवश्यक कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रार म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित है।

CERTIFICATE BY SUPERVISOR

Certified That:

1. I am willing to guide the Research work of **Miss. Pinky Rani** on the above Subject if he registered for Ph.D.

2. To the best of my Knowledge the Subjected has not been studied and is not being Studied So for in any University.

3. The Subject is of Sufficient Scope to Keep the Candidate engaged for too two Years.

4. The Subject will lead to a Valuable Contribution I have Seen and approved the outline and bibliography, etc. Submitted by the Candidate.

5. Necessary Facilities are available in the department for the above research work (certificate for principal/ Head University Department with regards to facilities available is enclosed)

6. I have (give numbers) Research Candidate registered Under my Supervisor and the Serial number of his Candidate whose application being forwarded for registration is (give the serial number)

7. The Candidate is not in a close relation (the term of close relation is defined in the examination ordinance of the University)

SIGNATURE OF THESUPERVISOR
WITH DATE

Certified that the available Facilities will be extended to **Miss. Pinky Rani** for research work if he registered for Ph.D.

SIGNATURE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF THE INSTITUTE WITH DATE

SIGNATURE OF THE HEAD DEPARTMENT WITH DATE

1. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तावित शोध–प्रबंध की रूपरेखा

(1) शोधार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : PINKY RANI

(हिंदी में) : पिंकी रानी

(2) शोध विषय का शीर्षक (अंग्रेजी में) : **A SOCIO-PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE ATTITUDES OF FEMALE OFFENDERS.**

(हिंदी में) : महिला अपराधियों की मनोवृत्तियों का एक मनोसामाजिक अध्ययन

3. Location : Rajasthan

A. Department where the work is to be done : Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer
&
Department of Sociology,
Govt. College, Pushkar (Ajmer)

B. Geographical area of investigation, if any : (A COMPARATIVE STUDY OF WOMENS CAPTIVE HALFWAY HOUSE JAIPUR AND AJMER)

4.- Introduction, Importance of Proposed Investigation / Objective.

प्रस्तावित शोध कार्य का परिचय, महत्व एवं उद्देश्य :

प्रस्तावना (Introduction)

विश्व का प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक संरचना और व्यवस्था को बनाये रखने एवं ठीक प्रकार से चलाने के लिए कुछ नियमों, प्रथाओं, रूढियों, जनरीतियों एवं सामाजिक मानदण्डों को विकसित करता है। परन्तु प्रत्येक समाज में हर समय कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद रहे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों और आदर्शो के विपरीत व्यवहार करते रहे हैं जिन्हें समाज अपराधी की संज्ञा प्रदान करता है। अपराध के जन्म की कहानी समाज के जन्म के साथ जुडी है, अतः जब तक समाज रहेगा अपराध भी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा।

प्राचीन काल में अपराध को ईश्वरीय आज्ञा का उल्लघंन माना जाता था, क्योकि ऐसा विश्सास प्रचलित था कि देवी–देवता ही समाज की सुरक्षा करते है। विपरीत व्यवहार से वे क्रोधित हो जायेंगे।

आधुनिक युग में अपराध राज्य के नियमों का उल्लंघन होता है जिसके लिए राज्य के पास दण्ड देने की व्यवस्था है। सभ्य एवं प्रगतिशील समाजों में व्यवहार नियन्त्रण के कुछ वैद्यानिक प्रतिमान बना दिये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत प्रतिमानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अपराधी और उसके विशेष व्यवहार को अपराध कहा जाता है।

बीसवीं शताब्दी मे अपराध और अपराधी के प्रति एक तार्किक और सामाजिक दृष्टिकोण का विकास हुआ जिसमें अपराध को समाज कल्याण विरोधी प्रकिया मानकर उसके उपचार की विधियो का विकास हुआ। अपने पूरे इतिहास में अपराध का

जनरीतियों और रिवाजों से निकट का सम्बन्ध रहा है। अपराध एक तुलनात्मक अवधारणा है। किसी कार्य को देखकर ही हम उसे अपराध नहीं कह सकते, एक समाज में एक व्यवहार को अपराध माना जाता है। जबकि दूसरे समाज में वह स्वीकृत व्यवहारों की श्रेणी मे रखा जा सकता है।

सामान्य रूप से किसी की हत्या कर देना अथवा किसी को लूट लेना सामाजिक रूप से एक गंभीर अपराध है, लेकिन कुछ आदिम जातियाँ ऐसी भी हैं जहाँ यात्रियों को लूटना अथवा किसी की हत्या कर देना वीरता का प्रमाण माना जाता है। अनेक नागा जन–जातियों में कुछ वर्ष पूर्व तक मनुष्य–हत्याओं की संख्या समूह में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण करती थीं।

अपराध की परिभाषाएँ (Definition of Crime):-

अपराध का वैधानिक पक्ष–वैधानिक दृष्टि से कानून को भंग करने वाली क्रिया के रूप में अपराध की परिभाषा की जा सकती है। यहाँ पर हम वैधानिक दृष्टि से दी गई अपराध की परिभाषाओं का उल्लेख करेंगें

1. हाल्सवरी (Halsbury):-

"अपराध एक गैर कानूनी दृष्टि है जो जनता के विरूद्ध है और जिसके लिए अपराधियों को कानून के अनुसार दंड दिया जाता है।"

2. लैण्डिस और लेण्डिस (landis and landis):-

"अपराध वह कार्य है जिसको राज्य ने समूह के कल्याण के लिए हानिकारक घोषित कर दिया जिसके प्रति राज्य के पास दंड देने की शाक्ति होती है" हाउस; सुधार–गृह अथवा बन्दी–गृह मे कारावास के द्वारा दण्डित किया जा सकता हैं

महिला अपराध की अवधारणा
(Concept of female crime)

स्त्री वर्ग द्वारा किये गये समाज–विरोधी अथवा गैर कानूनी कृत्य को ही महिला अपराध और इनसे सम्बन्धित अपराधियों को महिला अपराधी कहा जाता है।

भारत में ही नही अपितु विश्व में पुरूषों की अपेक्षा महिला अपराधियों की संख्या कम है परन्तु महिला अपराध की अवधारणा नई नहीं है। भारत में समाजशास्त्रियों का ध्यान इस समस्या पर 1950 के बाद गया । राम आहुजा के द्वारा, इस विषय पर 1969 में female offenders in India पुस्तक प्रकाशित की जिसमें महिला अपराध के कारणों पर एक नवीन सैद्धान्तिक विचार प्रस्तुत किया गया तब उसके बाद इस क्षेत्र मे नवीनतम अध्ययन किये जाने लगे।

भारत मे लगभग आधी जनसख्या महिलाओं की है जो कि सुखी समाज की आधारशिला मानी जाती है। जब से महिलाओं ने पुरूषों के साथ–साथ समाज की मुख्य धारा में हाथ बटाना शुरू किया है तब से अपराध के क्षेत्र में भी उनका प्रतिशत बढ़ा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिला अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है अर्थात् महिला अपराध हर समाज में पाया जाता है। जिसके अनेक सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक निहित होते है।

प्रस्तावित अनुसंधान का महत्व :–
Importance of Proposed Investigation

वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका का व्यापक महत्व है। समाजशास्त्रीय शोध संकलन में समाज वैज्ञानिकों द्वारा महिला का अध्ययन समाज की दशा, दिशा एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं के बदलते प्रतिमानों पर अनेक शोध कार्य हुए हैं परन्तु महिला अपराध जैसे विषय पर विशेष कार्य अब तक नहीं हुआ है जबकि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं में

आपराधिक प्रवृति बढ़ी है। समाज में दिन प्रतिदिन के व्यवहार गतिशीलता में इतने अधिक अन्तर एवं बदलाव आये हैं कि पुरुष अपराध के साथ–साथ महिलाओं के अपराध क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। जिसे हम कुछ निश्चित संरचनात्मक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं समझ सकते। इसी कारण समाजशास्त्र में महिला अपराध में अधिक महत्व स्थापित नहीं कर सकते। महिला समाज एवं अपराध अन्त सम्बन्धित हैं एवं दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

भारतीय अपराध की अवधारणाओं से सम्बन्धित अनेक वैचारिक पक्ष पुनः व्याख्याओं के कारण और अधिक जटिल हो जाते हैं। वंशानुगत बुद्धिजीवी समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक, साहित्यकारों की चूंकि अपनी परम्पराएँ, अभिवृत्तियाँ, पूर्वाग्रह एवं रूचि थी जिससे अपराध के विषय में की गई व्याख्याएँ एवं टिप्पणियाँ भी प्रभावित हुई हैं। समाज के परिवर्तन की अवधारणाएँ अपराध की प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं और इसी के द्वारा अपराध के जीवन्त यथार्थ का सामाजिक विश्लेषण सम्भव हो पाता है।

अतः इस शोध के द्वारा महिला अपराधियों की सामाजिक एवं अन्य पक्षों की जानकारी मिलेगी तथा शोध क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ेगा जिससे समाज का एक महत्त्वपूर्ण तबका लाभान्वित होगा।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

Purpose of Research Study

महिलाओं में व्याप्त अपराधिक मनोवृत्तियों को समझने के लिए भारतीय समाज के परम्परागत ताने बाने को जानना होगा। रूढ़ियां, परम्परा और (नवाचार) आधुनिकता के संक्रमण, सामाजिक न्याय, कानून संविधान के विभिन्न उपचारों को जानना होगा। समाज के परम्परागत प्रतिमान में आज की महिलाएँ किस प्रकार आचरण करती हैं। उन परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है। जिससे

महिलाओं में विकसित होने वाली विभिन्न आपराधिक मनोदशाओं को जान सके। इस सम्पूर्ण अध्ययन की पृष्ठभूमि में निम्नांकित उद्देश्य निहितार्थ हैं।

- प्रस्तावित अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उपरोक्त विषय पर व्यवस्थित सुसम्बद्ध एवं तथ्यपरक विवेचन करना है।
- अध्ययन शोध का उद्देश्य प्रस्तुत शोध को नवीन एवं मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से विश्लेषित करना है।
- प्रस्तावित अध्ययन मे दर्शाया जायेगा कि किस प्रकार हमारी प्राचीन परमपरा रीति–रिवाज, सस्कार, सामाजिक मूल्य एवं मनोवैज्ञानिक उपाय अपराध को रोकने मे कारगर होंगे।
- प्रस्तुत अध्ययन शोध का उद्देश्य यह भी जानना होगा कि क्यों आज महिलायें अपराध की ओर अग्रसर हो रही है एवं जिम्मेवार कारक तथा परिस्थितियों का पृथककरण करना है।
- महिला अपराध के कारको का पता लगाना और उनके रोकथाम के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है। प्रस्तावित अध्ययन में यह विश्लेषण भी किया जायेगा।
- दण्ड का प्रभाव बन्दियों की जीवन शैली एवं मुक्ति उपरान्त हुए व्यवहार में परिवर्तन का सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन करना

  उपर्युक्त लिखित उद्देश्यों से स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसन्धान सैद्धान्तिक ज्ञान में वृद्धि करने से साथ–साथ मानवीय समस्याओं के हल खोजने में भी अत्यन्त सहायक हैं।

5. प्रस्तावित अध्ययन विषय पर पूर्व में किये गये कार्यों का पुनरावलोकन

Review of work already done on the subject of Proposed Research Studies

महिला अपराध से सम्बन्धित हमारे शोध कार्यो से पहले भी कई महत्वपूर्ण शोध कार्य हो चुके है, अध्ययनों क आधार पर विभिन्न विद्वानों ने शोध विषय से सम्बन्धित विभिन्न तत्वों को उजागर किया।

- चार्ल्स गोरिंग Charles Goring, The English Comvict, 1919, ने इंग्लेण्ड में अपराधियों के एक अध्ययन के आधार पर दावा किया कि कारागार के बन्दियों में सामान्य लोगों की अपेक्षा कमजोर मानसिकता weekmindaness अधिक होती है।
- थामस Thomas the unadjusted girl 1923 में महिला विचलन को व्यवहार का भटकना माना है।
- अमेरिकन महिला अपराधशास्त्री मेबिल ईलियट (Mabel Elliott) ने 1952 "crime in modern society" महिला अपराध सम्बन्धी सिद्धांतो का विवरण यौन संबंधी आधार एवं सामाजिक विशेषताओं के आधार पर किया।
- भारत में वी.आर. शर्मा 1963 में महिला अपराध पर किये गए आनुभविक अध्ययन मे स्नेह, सुरक्षा तनाव, उपेक्षा, कुण्ठा आदि को मुख्य कारण बताया।
- AHUJA RAM, female offenders In India 1969 रचना में महिला अपराध का सूक्ष्म अध्ययन भारतीय सन्दर्भ में किया है। महिलाओं के अपराध की प्रकृति एवं विस्तार का विश्लेषण किया बल्कि अपराध के कारणों पर भी प्रकाश डाला।
- डेरी क्लीन (Daroe Klein, The Etiology Remale Crime):- A Revieal of the Literature 1973 ने लौम्ब्रोजो, डब्लयु आई, थोमस, किंगस्ले डेविय और आटो

पोलाक द्वारा महिलाओं के शारारिक एवं मनोवैज्ञानिक विकृतियों के आधार पर विश्लेषण किया एंव उनको परामर्श भी सुझाये।

- रीता साइमन (RITA SIMON) Women and Crime 1975 :- में महिला अपराध में वृद्धि व्यावसायिक अवसरों के विस्तार को माना है।
- मिश्रा और गौतम (Female criminality cause and consequences 1982) ने भी अपने अध्ययन में यह संकेत दिया है कि महिला अपराधिता मुख्यतः भवन गृहों और बदलते सामाजिक मूल्यों की समस्या के कारण उत्पन्न होती है।

शोधकर्त्ता के रूप में अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य मे हम उन्ही को जानते है जो प्रमाणित, प्रकाशित और प्राप्त हो सकते है। कई लेखों एवं शोध विषय से सम्बंधित विवरण मिलता है।

6. प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र में अनुसंधान अन्तराल की पहचान :—

Researsh Gaps identified to the proposed field of investigation (Based on the Review)

समाज में होने वाले अपराधों का समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन समय समय पर होते रहे हैं। इस संदर्भ में महिलाओं में व्याप्त अपराधिक प्रवृत्तियों का अध्ययन भी हुआ है जिसमें 1969 में राम अहुजा द्वारा महिलाओं के द्वारा हुए अध्ययन में महिलाओं में अपराध की प्रकृति एवं विस्तार का विश्लेषण एवं कारण का अध्ययन किया गया। ईश्वर शरीफ और सेकर (1982) में बंगलौर के रिमाण्ड गृह की महिला निवासियों का अध्ययन किया। सन्याल और अग्रवाल एवं आर.के. शर्मा के द्वारा भी महिला अपराधियों का अध्ययन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया।

परन्तु महिलाओं में शहरी एवं ग्रामीण परिवेश की तुलनात्मक अपराधिक मनोवृत्तियों पर कोई भी सूक्ष्म शोध कार्य अभी मेरी दृष्टि में नहीं आया है। मेरा यह शोध कार्य ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं में अपराधिक मनोवृत्तियों, उनके परिवेश, उम्र और शिक्षा के विविध पक्षों के साथ–साथ दो भिन्न भौगोलिक परिवेश के शहरों के सुधारगृहों का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा। इसके पश्चात् कारागृह में बंदी और कारागर से मुक्त महिलाओं में अपराध के प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है। उसका सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव क्या रहता है। साथ ही समाज आधुनिकता से अति आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। इस परिवेश में महिलाओं में विकसित होने वाली अपराधिक मनोवृत्तियों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जायेगा।

अध्ययन–क्षेत्र का निर्धारण
Assessment of Study Area

अध्ययन–क्षेत्र या शोध–क्षेत्र का निर्धारण मूलतः शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। शोधकर्ता को अपने क्षेत्र का स्पष्टतः निर्धारण कर लेना चाहिए ताकि तथ्यों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन किया जा सके। शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं–भौगोलिक, जनसंख्यात्मक तथा अन्य आधार पर निर्मित क्षेत्र का निर्धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से क्षेत्रीय कार्य में लगे अन्वेषक का ध्यान एवं प्रयत्न उसे क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रख सकेंगे।

अतः उपर्युक्त लिखित अध्ययन की सीमाओं एवं क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित शोध अध्ययन राजस्थान के महिला बंदी सुधार गृह आगरा रोड, घाट गेट के पास, बी.एस.एन.एल. कार्यालय के सामने, जयपुर एवं महिला बंदी सुधार गृह अजमेर, समीप केन्द्रीय कारागार अजमेर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने, जयपुर रोड़, अजमेर (राज.) उपर्युक्त स्थान की महिला–बंदियों का साक्षात्कार द्वारा अपराध से संबंधित आंकड़ो का संकलन किया जाएगा।

अध्ययन उद्देश्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रतिदर्श के चयन मे मिश्रित दैव निदर्शन पद्धति को प्रयुक्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया जायेगा।

शोध अध्ययन क्षेत्र में महिला बंदी सुधार गृह जयपुर एवं अजमेर से सौ उत्तर दाताओं का चयन मिश्रित निदर्शन से किया जाएगा तथा अनुसूची में उन सभी बिन्दुओं को शमिल किया जाएगा, जिनका सम्बन्ध इस अध्ययन से है उत्तरदाताओं से जो भी सूचनाएँ प्राप्त होगी, उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करके सामाजिक पहलुओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

यद्यपि यह अध्ययन बहुत विस्तृत नहीं है परन्तु इसके निष्कर्ष सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होंगे। इस क्षेत्र में अपराध से सम्बन्धित सभी तत्त्व प्रकार्यात्मक रूप से विद्यमान है।

7. ## प्राक्कल्पना :–

Major Hypothesis

- विभिन्न सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकता से अपराध क्षेत्र मे बढ़ोत्तरी हुई है?
- शिक्षित महिलाओं के अपराध अशिक्षित महिलाओं की तुलना में भावावेश नहीं होते।
- महिलायें सामाजिक एवं धार्मिक नियन्त्रणों के कारण पुरूषों की अपेक्षकृत कम अपराध करती है ?
- शहरी महिलाएँ ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा अपने अधिकार, कर्तव्य एवं कानून के प्रति अधिक जागरूक होती है।
- ग्रामीण महिलाओं में शहरी महिलाओं की तुलना में अधिक अपराधिक प्रवृति की पायी जाती है।
- पर्यावरण की दृष्टि से सुधार गृह में बंद महिला बंदियों में भिन्न–भिन्न प्रकार की मनोवृतियाँ पैदा होती हैं, जिनका तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित होता है।

8. अनुसंधान पद्धति :–

Research Method

सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति से यह स्पष्ट होता है कि यह एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली है। जिसमें सामाजिक यथार्थ के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, अतः इसके अध्ययन के लिए हमें विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करना होता है।

निम्नलिखित प्रायोजित अध्ययन वर्णात्मक एवं व्याख्यात्मक होगा। इस अध्ययन के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, जैविक एवं मनोवैज्ञानिक कारको को जानने एवं इनके प्रभावों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जायेगा। इन सभी उपकल्पनों को स्थापित करने व शोध हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोत एवं तथ्यों के संकलन के लिए–साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन, प्रश्नावली, निदर्शन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं तुलनात्मक विधि इत्यादि प्रविधियों का प्रयोग किया जायेगा।

- साक्षात्कार – क्षेत्रीय कार्यो की पद्धति में साक्षात्कार पद्धति का स्थान सर्वोपरि है, व्यक्तियों की, व्यक्तियों की मनोकृतियों, भावनाओं और आन्तरिक विचारों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए साक्षात्कार एक उपयोगी पद्धति है इसमें अध्ययनकर्त्ता एवं सूचनादाता एक दूसरे के सामने समबन्ध स्थापित कर वात्प्रलाप करके अभीष्ट सामग्री प्राप्त करते है।

  प्रस्तावित शोध कार्ये के लिए अन्तर्गत महिला जेल बारियों से अपराध की परिस्थिति से सम्बन्धित प्रश्न पूछकर तथ्यों का संकलन किया जायेगा।

- अनुसूची – प्रस्तावित शोध कार्ये के अन्तग्रत तथ्यों का संकलन करने के लिए अनुसूची का निर्माण किया जाएगा, जिसमें उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, सांस्कृति, पृष्ठभूमि से सम्बंधित प्रश्नों का समावेश किया जायेगा।

➤ इसके बाद अपराध के कारण प्रकार एवं आधुनिकीकरण के प्रभाव से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश किया जायेगा जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि अपराध के लिए निम्न कारक जिम्मेवार है:–

- निदर्शन – निदर्शन सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला है। किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पूर्व अनुसंधानकर्त्ता को यह तय करना होता है। कि उत्तरदाताओं से सम्यकी स्थपित करके तथ्यों का संकलन करेगा।

  प्रायोजित शोध अध्ययन कार्ये में निदर्शन पद्धति की मिश्रित प्रणाली द्वारा समग्र में से कुछ इकाइयों का अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप मे चुना जायेगा।

- अवलोकन – एक वैज्ञानिक किसी तथ्य को तब तक स्वीकार नही करेगा, जब तक वह अपनी आँखो से देख ना ले।

  यह निरीक्षण द्वारा कुछ संदेहों और भ्रांतियो को दूर कर सत्य के निकट पहुँचने की कोशिश करता है अतः प्रायोजित शोध कार्यों में तथ्यों का संकलन अनुसूची साक्षात्कार एवं निदर्शन के अतिरिक्त अवलोकन पद्धिति के द्वारा भी किया जायेगा। जिसमें सहभागी एवं असहभागी दोनों प्रकार की अवलोकन पद्धिति को अपनाया जायेगा। इस प्रकार के निरिक्षण द्वारा प्रस्तावित एवं निष्पक्ष तथ्यों का संकलन करना सम्भव हो सकेगा, अवलोकन पद्धिति द्वारा महिला अपराध के प्रत्येक पहलु का अध्ययन किया जायेगा।

- मनोवैज्ञानिक परीक्षण – व्यक्ति के स्वभाव के वस्तुनिष्ठ एवं मानक माप हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के कौशल, योग्यतायों, प्रवृत्तियों एवं व्यक्तिगत विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक

परीक्षण के माध्यम से महिला अपराधियों के व्यक्तित्व के विशेष गुणों का मापन किया जा सकेगा।

- तुलनात्मक विधि – किन्हीं दो या दो से अधिक क्षेत्र आयामों के मध्य तुलना करके नये तथ्यों का पता लगाया जाता है, समाज विज्ञान में तुलनात्मक शोध का भरपूर इस्तेमाल होता आया है, इस विधि के माध्यम से हम जयपुर एवं अजमेर शहर की महिला बंदियों की प्रवृति एवं जेल के वातावरण के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा।

उपरोक्त विधियों से प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण सारणीकरण तथा विश्लेषण करने एक आदर्श शोध प्रबन्ध तैयार किया जायेगा।

9. प्रस्तावित अनुसंधान का अध्याय विवरण :–

Chapter wise Details of Proposed Research

1.	प्रथम अध्याय	:	शोध – परिचय
2.	द्वितीय अध्याय	:	शोध प्रारूप एवं पद्धति
3.	तृतीय अध्याय	:	महिला अपराध की पृष्ठभूमि
4.	चतुर्थ अध्याय	:	महिला अपराधियों की सामाजिक मनोदशा एवं तुलनात्मक अध्ययन
5.	पंचम अध्याय	:	महिला बंदी एवं कारागार से मुक्त होने के बाद महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति
6.	षष्ठम अध्याय	:	सुझाव एवं निष्कर्ष
7.	सप्तम अध्याय	:	परिशिष्ठ :– (अ) साक्षात्कार अनुसूची (ब) संदर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Pro. M.L. gupta and Dr. D.D. Sharma (2004) Indian social problems, Agra (UP) Sahitya Bhawan Publication.
- Ahuja Ram (1993) Indian Social System, New Delhi, Rawat Publication.
- Ahuja Ram (1997), Social Problems in India Jaipur Raj, Raalat Publication.
- Simon Rita James (1975) Women and Crime, Lexington Books, America.
- Sharma, B.R., Crime and Women; A psycno Diagnostic study of female criminality Indian Institute of Public Administration New Delhi, 1990.
- Ahuja Ram, female offenders In India meenakshi Prakashor, meerut, 1969.
- Lombraso, casore, The female offender, Appleton, New York 1903.
- Mukherjee, S.K. and Scutt Jocelunne, A Women and Crime, George Allen and unwin Ltd., Sydney, 1981.
- Report of National Expert Committee on Women Prisones, Vol. I & II Government of India, Department of Women and Child Development New Delhi, 1990.

- Misra and gautam,"female criminality, causes and consequences," Readings in criminology, souvenir volume, Calcutta 1982.
- Dr. Sunil goyal, criminology, 2007. R.B.S.A Publicer, SMS highway Jaipur (Raj.).
- Ahuja Ram and Ahuja mukesh Inductubly criminology,1998. Rawat Publication Jaipur (Raj.).
- Bharat, M.L. and Misra surat, criminality Amongst Women," Buream of Police Reseoran and Development New Delhi, 1979.
- Elliot, Mabel, Crime in Modern Society, Harper & Bros., New York, 1952. Fitzgerald, Mike, et al., Crime and Society, Routledge & Kegan Paul, London, 1981.
- Gibbons, Don, Society, Crime and Criminal Careers, (3rd ed), Prentice-Hall, New Jersey, 1977.
- Sutherland E.H. and Cressay D.R., Principles of Criminology, (6th ed), The Times of India Press, Bombay, 1965.
- Vold George, Theoretical Criminology, Oxford University Press, new York, 1948.
- "Female Murderers in India," Indian Journal of Social Work, Bombay, October 1970.
- www.en.wikiapedia.org

Outline Approved

3/7/18

Signature of

the Supervisor with date

...urer
Gove...ment College
Pushkar

Pinky Rani
3/7/18

Signature of the

Candidate with date

शोध निर्देशक :

डॉ. ऋतु सारस्वत

व्याख्याता समाजशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर)

शोधार्थी

पिंकी रानी

CERTIFICATE

This is to certify that **Miss. Pinky Rani** has qualified the course work of paper II and III for Registration for the Ph.D. programme in the Department of Sociology of the Govt. College, Pushkar (Ajmer).

Supervisor
Lecturer
Government College
Pushkar

Principal
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
पुष्कर (अजमेर)